

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -174/2016/बीकानेर

मैसर्स प्रेम ऑप्टिकल कम्पनी, स्टेशन रोड, बीकानेर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत्त बी, बीकानेर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ.पी. दौसाया
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 06.03.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 75/आरवैट/बीकानेर/2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.05.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के अधीन पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.03.2014 में तृतीय त्रैमासिक विवरण प्रपत्र एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A की हार्डकॉपी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण 8,850/- रुपये विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2015 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित है तथा अपीलार्थी द्वारा तृतीय त्रैमासिक विवरण पत्र एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A दिनांक 15.03.2013 को विभागीय वेबसाइट पर समय पर अपलोड कर दिये गये थे। जबकि त्रैमासिक विवरण पत्रों को प्रस्तुत करने की बढ़ायी गयी अंतिम तिथि 30.04.2013 थी। इसी प्रकार वार्षिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत की अन्तिम तिथि 27.05.2013 थी। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-प12(59)वित्त/कर/2014-9 दिनांक 14.07.2014 द्वारा

लगातार.....2.

Amrinder
06/03/17

नियम 19(2) में संशोधन किया जाकर दिनांक 01.04.2014 तक प्रस्तुत (uploaded) किये गये सभी इलेक्ट्रानिक्स रिटर्न जिस दिवस को वेबसाईड पर प्रस्तुत किये गये हैं, उसी तिथि को प्रस्तुतीकरण की तिथि मान ली गयी है। अपीलार्थी द्वारा हार्डकॉपी कर निर्धारण आदेश से पूर्व प्रस्तुत कर दी गयी थी। अतः नियम 19(2) के संशोधन प्रावधान के अनुसार विलम्बत से प्रस्तुत करने पर भी इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि को ही हार्डकॉपी प्रस्तुत करने की तिथि मानी जायेगी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1326/2014/जोधपुर मैसर्स रतन ट्रेडिंग कम्पनी, जोधपुर बनाम् सहायक आयुक्त वृत्त-ए, वाणिज्यिक कर, जोधपुर के निर्णय दिनांक 20.04.2016 प्रस्तुत किया कि जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि के लिये यदि देय विवरण प्रपत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है तो पावती की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक भी वही दिनांक मानी जायेगी। इस प्रकार विलम्ब शुल्क का आरोपण विधिसंगत नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि विवरण पत्रों की देरी की स्थिति में विलम्ब शुल्क के संबंध में धारा 21 व नियम 19A के प्रावधानों में विलम्ब शुल्क की गणना, अभिनिर्धारण व जमा करवाने की विधिक बाध्यता अपीलार्थी व्यवहारी की होती है। प्रावधान के अनुसार विनिश्चित योग्य (Quantifiable) विलम्ब राशि (जिसका दायित्व निर्धारण की जिम्मेदारी भी व्यवसायी पर ही है) जमा करवाये जाने के बाध्यकारी प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011-12 की तृतीय तिमाही विवरण प्रपत्र एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A की विवरणी विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 15.03.2013 को अपलोड कर दी गई किन्तु इनकी हार्डकॉपी दिनांक 13.08.2013 को प्रस्तुत की गई। अतः अपीलार्थी पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारित किया गया है, वह विधि सम्मत है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। अपने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा वर्तमान अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011-12 की तृतीय तिमाही एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A की विवरणी विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 15.03.2013 को अपलोड कर दी गई, किन्तु इनकी हार्डकॉपी दिनांक 13.08.2013 को प्रस्तुत की गई।

[Handwritten Signature]
06/03/17

लगातार.....3.

7. अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011-12 के तृतीय त्रैमासिक व वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्रऑनलाईन दिनांक 15.03.2013 तक प्रस्तुत कर दिये गये हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.16(375)टैक्स /वैट/सीसीटी/06/पार्ट-I/1996-2002 दिनांक 06.03.2013 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की अवधि दिनांक 30.04.2013 तक बढ़ाई गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011-12 की आक्षेपित तृतीय तिमाही की विवरणी विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 15.03.2013 को ही अपलोड कर दी गई। वर्ष 2011-12 की वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A को ऑनलाईन (Submit) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27.05.2013 थी। जिसे दिनांक 15.03.2015 को ही अपलोड कर दिया गया था। इनकी हार्डकॉपी दिनांक 13.08.2013 को प्रस्तुत की गई। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के उक्त दोनों विवरणी की हार्डकॉपी दिनांक 13.08.2013 को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर नियम 19A के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया। इस संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम 19(2) के संशोधन से पूर्व एवं दिनांक 14.07.2014 से संशोधित प्रावधान को यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक है।

8. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से पूर्व निम्न प्रकार थे -

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s) and in case the return(s) is filed after the last date of filing of return(s), within fifteen days of the filing of such late return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of return(s).


9. नियम 19(2) के प्रावधान दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी निम्न प्रकार हैं -

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official website of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager.


However, where the dealer has given his consent to use the official website for submitting return in the prescribed manner, he may submit return without digital signature.

However, for the period prior to 01.04.2014, if the dealer has failed to furnish the signed copy of acknowledgement generated through the official website of the department, within the time prescribed under the rules which were in force at that time, the date of submission of signed copy of said acknowledgement shall be deemed to be the date of the filing of the return.

लगातार.....4.


11/03/17

10. नियम 19(2) जो दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी हैं, में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि के लिये विभाग की ऑफिशियल वेबसाईड के द्वारा जेनरेटेड हस्ताक्षरयुक्त पावती विहित समयावधि (जो तत्समय में प्रचलित थी) में प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में पावती की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक वह मानी जायेगी जो विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक थी। इस संशोधन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि के लिये यदि देय विवरण प्रपत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है तो पावती की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक भी वही दिनांक मानी जायेगी। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 10.03.2014 से पूर्व हार्डकॉपी प्रस्तुत की जा चुकी थी। अतः अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के समस्त बिक्री विवरण प्रपत्र की सॉफ्टकॉपी आनलाईन नियत समयावधि में प्रस्तुत किया जाना निर्विवादित है। उपरोक्त नियम 19(2) के दिनांक 14.07.2014 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की अवधि के विवरण प्रपत्र के सॉफ्टकॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक को ही हस्ताक्षरयुक्त Acknowledgment (पावती) अर्थात् हार्डकॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक माना जायेगा। न्यायिक दृष्टांत राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1326/2014/जोधपुर मैसर्स रतन ट्रेडिंग कम्पनी, जोधपुर बनाम् सहायक आयुक्त वृत्त-ए, वाणिज्यिक कर, जोधपुर के निर्णय दिनांक 20.04.2016 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि दिनांक 01.04.2014 से पूर्व की समयावधि के लिये यदि देय विवरण प्रपत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है तो पावती की हस्ताक्षरयुक्त कॉपी प्रस्तुत करने की दिनांक भी वही दिनांक मानी जायेगी। अतः आलौच्य अवधि में अपीलार्थी द्वारा समस्त बिक्री विवरण प्रपत्र नियत समयावधि में प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, जिसके लिये नियम 19A के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
12. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश दिनांक 13.05.2015 एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.03.2014 को अपास्त कर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।
13. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य